संख्या-९५५/वाई0के0-५०-२०१४-१०२(पी.वी.डी.)/१९८८

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग — लखनऊ दिनांक २६ अगस्त, २०१४

विषय- प्रादेशिक विकास दल के स्वयंसेवकों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अपने पत्र संख्या-३४८/दो-८६/प्रा.वि.द./१९९२टीसी, दिनांक ०३ जुलाई, २०१४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- प्रश्नगत संदर्भ में शासनादेश संख्या-१४२५/पचास-यु0क0-२०१३-१०२(पी.वी.डी.)/१९९८, दिनांक १२ नवम्बर, २०१३ के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रादेशिक विकास दल के स्वयंसेवकों को संदर्भित शासनादेश दिनांक १२ नवम्बर, २०१३ द्वारा प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन निर्धारित पारिश्रमिक रू.१६०.०० को दिनांक ०१ सितम्बर, २०१४ से बढ़ाकर रू. १८५.०० प्रतिदिन प्रति स्वयंसेवक निर्धारित किये जाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

३- पुनरीक्षित दरें ०१ सितम्बर, २०१४ से लागू होंगी। शासनादेश दिनांक १२ नवम्बर, २०१३ की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

४- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-२-७८८/दस-२०१४, दिनांक २५ अगस्त, २०१४ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव।

-२-

संख्या-९५५(१)/वाई0के0-५०-२०१४-१०२(पी.वी.डी.)/१९८८-तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

१- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद,
२- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
३- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
४- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
५- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश,
६- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
७- समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
८- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन,
९- गार्ड-बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव।